# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी, जिला–सवाई माधोपुर

## पीठासीन अधिकारी–श्री पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 08 / 2018 | 04.07.2018 | 03.09.2019 |

1. रामकिशोर पुत्र मदन, जाति गुर्जर, निवासी बूचौलाई ढाय, तहसील, गंगापुर सिटी
2. रामचरण पुत्र मदन, जाति गुर्जर, निवासी बूचौलाई ढाय, तहसील, गंगापुर सिटी
3. कपूरी बेवा मदन, जाति गुर्जर, निवासी बूचौलाई ढाय, तहसील, गंगापुर सिटी

– अपीलार्थीगण –

**बनाम**

सरकार जरिये तहसीलदार, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर – रेस्पोडेन्ट –

## अपील

उपस्थित :– श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थीगण की ओर से

## निर्णय

**दिनांक–03.09.2019**

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक–05.02.2018, मुकदमा नंबर–02 / 16, उनवानी मुकदमा रामकिशोर बनाम सरकार इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि न्यायालय एडीएम साहब द्वारा पर्वू में उक्त प्रकरण को नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक करने बावत प्रतिप्रेषित किया यथा उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि पर अपने कब्जे बावत स्वतंत्र गवाहान के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उक्त तथ्य को गौर फरमाये आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह कथित किया है कि अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है जबकि उक्त भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार, तलावड़ा द्वारा अपीलाण्ट का भूमि पर कब्जा काश्त है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त रहा है तथा आज भी अपीलाण्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर उसकी फसल आदि से लाभान्वित हो रहे है। जिसका इन्द्राज संवत् 2073 की खसरा परिवर्तनशील में भी अंकित है किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्डों में अपीलाण्ट का कब्जा साबित होने के बावजूद अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश पारित करने में भारी भूल की है। जो कि निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तथाकथित रिपोर्ट 04.04.2017 व 30.08.2016 का हवाला दिया है जबकि उक्त रिपोर्ट की जानकारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

अपीलाण्ट को कभी नहीं रही है ना ही रिपोर्ट अपीलाण्ट की उपस्थिति में बनाई गई है। उक्त एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना विधिक विवेचन किये आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कथन किया है कि उक्त भूमि चरागाह भूमि है जिसका आबंटन नहीं किया जा सकता है जबकि यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय को मात्र नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी थी, अलोटमेंट की नहीं। अलोटमेंट तो पूर्व में दिनांक 28.06.76 को ही अपीलांट के पिता के हक में हो चुका था किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा केवल लिपिकीय भूमि के कारण नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया था किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है, जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में अपीलांट के पिता का कब्जा रहा है जो कि पटवारी द्वारा कब्जा देने की रिपोर्ट दिनांक 04.07.76 से ही बखूबी साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 व जिला कलेक्टर महोदय के पत्र क्रमांक–राजस्व/2017/1676–1683 दिनांक–21.03.2017 का हवाला दिया है जबकि उपरोक्त प्रकरण व वर्तमान प्रकरण के तथ्य अलग अलग है। उक्त प्रकरण के तथ्य वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने आलौच्य आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.02.2018 निरस्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट को भूमि हाल खसरा नंबर 416/357 स्थित ग्राम ढाय बूचौलाई में से अपीलाण्ट के हक में 8 बीघा 6 विस्वा भूमि का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को फ़रमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलब की गई। रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

बहस वकील अपीलार्थीगण सुनी गई।

वकील अपीलार्थीगण ने बहस के दौरान अपील में अंकित कथनों का दोहरान करते हुए कहा कि आबंटन के पश्चात से ही भूमि पर पूर्व में उनके पिताजी एवं उसके पश्चात उनका निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान में भी उनका कब्जा काश्त है, उसके बावजूद तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोला गया है जो कानूनी रूप से गलत है। वकील अपीलाण्ट ने आबंटित भूमि का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के हक में खोले जाने हेतु तहसीलदार, गंगापुर सिटी को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली न्यायालय हाजा एवं मिसल अदालत मातहत का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 181 ग्राम बूचोलाई राजस्व अभियान केम्प बूचोलाई में पेश होने पर "अलाटमेंट रकबे का नक्शा इन्तकाल की पुश्त पर होना चाहिए, जो नहीं है।" इस आशय का नोट अंकित करते हुए इन्तकाल अस्वीकृत किया गया है। इस नामान्तरकरण की अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर में अपील संख्या–94/15 उनवानी रामकिशोर वगै0 बनाम सरकार पेश होने पर पारित निर्णय में अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर व कब्जे की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे। इस आदेश की पालना में तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक–05.02.2018 को निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय में अंकित किया गया है कि नायब तहसीलदार, तलावड़ा की रिपोर्ट दिनांक–30.08.2016, भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कुनकटा कलॉ, पटवारी हल्का बूचोलाई की रिपार्ट दिनांक–01.04.2016 के अनुसार अपीलार्थी जिस भूमि को चाहता है उसे कभी भी उसके द्वारा या किसी अन्य द्वारा जोता बोया नहीं गया है। अपीलार्थी को कब्जे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने बावत कई मौके देने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। चाही गई भूमि चारागाह है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत बाधित भूमि है तथा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/2017/1676–1683 दिनांक–21.03.2017 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चारागाह भूमि के आबंटन, अन्य प्रयोजनार्थ आबंटित करने पर रोक लगाई गयी है। तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 181 को यथावत रखा गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि आबंटन के समय से ही अपीलार्थी के पिता व पति मदन का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा भी पारित निर्णय में यही निष्कर्ष अंकित किया है कि कब्जे की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे। हमारी राय में भी अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के संबंध में विचारणीय बिन्दु आबंटित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होना या नहीं होने संबंधी जॉच का ही है। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार मदन पुत्र नारायण गुर्जर बूचोलाई को दिनांक–28.06.76 को खसरा नंबर 379 में 08 बीघा 6 विस्वा भूमि का आबंटन किया गया था एवं आबंटी को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक–04.07.1976 को कब्जा संभला दिया गया था। ग्राम बूचोलाई के खसरा नंबर 379 रकबा 27 बीघा के नये नंबर 1236 रकबा 7.27 हेक्टर किस्म सिवायचक लगानी बनाया गया। मिलान क्षेत्रफल पुनः विभाजन के पश्चात नवीन गठित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज.)

ग्राम ढाय तहसील गंगापुर सिटी के अनुसार संवत् 2057–60 में खसरा नंबर 1236 से नवीन नंबर 198/357 बनाया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा कब्जे होने संबंधी प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन के अनुसार खसरा नंबर 416/357 रकबा 1.00 हेक्टर पर रामकिशोर पुत्र मदन, खसरा नंबर 416/357 रकबा 0.70 हेक्टर पर रामचरण पुत्र मदन द्वारा कब्जा जोत किया जाना प्रमाणित होता है। इसी प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा लगान रसीद कुल किता 03 पेश की गई है जिनके अनुसार संवत् 2073 में उन पर अधिरोपित शास्ति जमा करवाई गई है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि आबंटित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है किसी अन्य व्यक्ति का आबंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 181 ग्राम बूचोलाई राजस्व अभियान केम्प बूचोलाई में पेश होने पर अलोटमेंट रकबे का नक्शा इन्तकाल की पुश्त पर नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। इस प्रकार मात्र नक्शा नहीं होने के आधार पर नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है बल्कि तत्समय आबंटित भूमि के संबंध में कब्जा एवं अन्य तथ्यों के संबंध में विचार करने के उपरांत ही नामान्तरकरण का अंतिम निस्तारण करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसी प्रकार तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा पारित आदेश एवं अन्य दस्तावेज में भी यह तथ्य कहीं भी नहीं आया है कि अपीलाधीन भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त हो। तहसीलदार, गंगापुर सिटी द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वज के आबंटन को निरस्त करवाने की कार्यवाही भी नहीं किया जाना स्पष्ट है। एक ओर तहसीलदार, गंगापुर सिटी को प्राप्त मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी का कब्जा नहीं होना बताया है जबकि दूसरी ओर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत न्यायालय नायब तहसीलदार, तलावड़ा द्वारा अपीलार्थीगण को दिये गये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिये गये नोटिस अनुसार अपीलार्थीगण का कब्जा प्रमाणित होता है। दोनों ही विरोधाभासी तथ्य है। इस प्रकार हमारी विनम्र राय में प्रकरण में समस्त दस्तावेजी तथ्यों एवं मौके की स्थिति की पुनः जॉच की जाकर नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु तहसीलदार, गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**–: आदेश :–**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी दिनांक–05.02.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण में समस्त दस्तावेजी तथ्यों एवं मौके की स्थिति की पुनः जॉच की जाकर नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु तहसीलदार, गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पृथक कर संबंधित न्यायालय को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो।

यह निर्णय आज दिनांक–03.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी